



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 05-04-21

01 नफर वांछित अभि० गिरफ्तार

!! श्रीमान उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अमित पाठक के कुशल निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण में थाना खोडा पुलिस द्वारा मु०अ०सं०-173/2021 धारा 376,323 भादवि के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा **दिनांक 04.04.2021 को समय 16.05 बजे में** मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को इतवार पुस्ता से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

अनीश मौहम्मद पुत्र मौहम्मद रहीश नि० आरसी 653 राजीव नगर खोडा कालोनी गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त अनीश मौहम्मद का आपराधिक इतिहास

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	173/2021	376,323 भादवि	खोडा	गाजियाबाद



दिनांक 05.04.2021 को थाना खोडा पुलिस द्वारा 01 नफर वारन्टी को गिरफ्तार किया गया

!! श्रीमान उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अमित पाठक के कुशल निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण में थाना खोडा पुलिस द्वारा वारन्टियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में 01 नफर वारन्टी को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा **दिनांक 05.04.2021 को समय 07.10 बजे में** मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को उसके मस्कन से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

भूरा पुत्र ओमपाल सिंह नि० म०नं० 315 पण्डित का मकान सगम पार्क खोडा कालोनी गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष।

वाढ सं० 14/18 मु०अ०सं० 531/17 धारा 363/366/376 भादवि व 3 / 4 पॉक्सो एक्ट थाना खोडा

थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा एनसीआर क्षेत्र में लम्बरी गाड़ियां लूट/चोरी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से जनपद गौतमबुद्ध नगर के सूरजपुर थानाक्षेत्र से लूटी गयी एक अदद ब्रेजा कार व आई-फोन, दो अदद तमंचा, 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर दो अदद चाकू, दो फर्जी नम्बर प्लेट बरामद

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अमित पाठक के निर्देशन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा वाहन लूट/चोरी की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए थाना इन्दिरापुरम पुलिस और गौतमबुद्ध नगर की पुलिस के संयुक्त अभियान में एनसीआर क्षेत्र में लब्जरी गाड़ियां लूट/चोरी करने वाले शातिर किरम के लुटेरों को दिनांक 04.04.2021 को रामप्रस्था की तरफ से आने वाली रोड पर मंगलम स्कूल वैशाली की तरफ से जाने वाली सर्विस रोड के सामने से आते हुए शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से एक अदद ब्रेजा कार सफेद रंग, सूरजपुर गौतमबुद्ध नगर से दिनांक 14.03.2021 को लूटी गयी ब्रेजा कार बरामद जो बदमाशों द्वारा दिनदहाड़े तमंचा दिखाकर महिला और बच्चे को गाड़ी से धक्का देकर लूटी गयी थी। उसी गाड़ी में वादी का आईफोन भी था जो इनके पास से बरामद हुआ है। इसके अलावा इनके कब्जे से दो अदद तमंचा, 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर दो अदद चाकू, एक अदद मोबाइल आईफोन, दो फर्जी नम्बर प्लेट बरामद किया गया।

अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्तगण द्वारा मौका पाकर एनसीआर क्षेत्र में वाहन स्वामी को डरा धमका कर तमंचे के बल पर दिनदहाड़े वाहन व आई-फोन लूट की जघन्य घटनाओं का कारित करना

गिरफ्तार हुए अभियुक्तगण का नाम पता निम्न प्रकार है।

गिरफ्तार अपराधियों के नाम पते:-

- शाहरूख पुत्र शहादत अली नि० नहल थाना मसूरी उम्र 19 वर्ष
- यश कसाना पुत्र देवेन्द्र कसाना थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष
- गौरव वैसला पुत्र करतार सिंह नि० बादशाह पुर सिरौली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष
- प्रवीण देवधर पुत्र सतेन्द्र देवधर नि० भाटी मौहल्ला चिरौड़ी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद ब्रेजा कार सफेद रंग
2. दो अदद तमंचा, 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. दो अदद चाकू
4. एक अदद मोबाइल आईफोन
5. दो फर्जी नम्बर प्लेट

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

शाहरूख:-

1. मु०अ०सं०- 184/2021 धारा 392 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्ध नगर
2. मु०अ०सं०- 493/2021 धारा 392/411/482/468/34 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद
3. मु०अ०सं०- 494/2021 धारा 4/25 आयुध अधि० थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद

यश कसाना:-

1. मु०अ०सं०- 184/2021 धारा 392 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्ध नगर
2. मु०अ०सं०- 493/2021 धारा 392/411/482/468/34 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद
3. मु०अ०सं०- 495/2021 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद

गौरव बंसल:-

1. मु0अ0सं0- 184/2021 धारा 392 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्ध नगर
2. मु0अ0सं0- 493/2021 धारा 392/411/482/468/34 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0- 496/2021 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद

प्रवीण देवधर:-

1. मु0अ0सं0- 184/2021 धारा 392 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्ध नगर
2. मु0अ0सं0- 493/2021 धारा 392/411/482/468/34 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0- 497/2021 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद



थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद की पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त को एक अदद चाकू के साथ किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित शराब माफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में थाना टीला मोड पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को एक अदद चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 05.4.2021 को समय 00.40 बजे कोयल एन्कलेव से 1 अभियुक्त सौरभ उर्फ गोलू पुत्र इन्द्रेश कुमार निवासी ई-104 पंचशील कालोनी थाना टीला मोड गा0बाद को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से एक अदद चाकू बरामद किया गया जिसके सम्बंध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 141/21 धारा 4/25 एक्ट बनाम सौरभ पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

सौरभ उर्फ गोलू पुत्र इन्द्रेश कुमार निवासी ई-104 पंचशील कालोनी थाना टीला मोड गा0बाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. मु0अ0सं0 141/21 धारा 4/25 एक्ट बनाम सौरभ



वांछित 01 नफर अभि0 को गिरफ्तार किया गया

!! श्रीमान उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अमित पाठक के कुशल निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण में थाना खोडा पुलिस द्वारा बलात्कार के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा दिनांक 05.04.2021 को समय 11.50 बजे में मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को इतवार पुस्ता टी पाईन्ट से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

मौ0 जियाउल हक पुत्र मौ0 मुश्ताक निवासी ग्राम पिपर पांती पोस्ट कालू चक थाना खरीक बाजार जिला भागलपुर बिहार उम्र 27 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त म० जियाउल हक का आपराधिक इतिहास

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	630/2020	376,354क,504,506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट	खोडा	गाजियाबाद



वांछित अपराधी के विरुद्ध चले चैकिंग अभियान के अन्तर्गत एक वांछित नफर अभि० गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण व कुशल नेतृत्व में थाना सिहानीगेट के मु०अ०सं० मु०अ०सं० 360/21 धारा 376/354/504/427 भादवि के वांछित अभि० सचिन पांचाल पुत्र रमेश कुमार नि० 293 लाल चौक बौझा पटेल नगर थाना सिहानीगेट जनपद गा०बाद को दौराने तफतीश अभि० के मसकन से थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा दि० 05/04/021 को को समय 01/10 बजे गिरफ्तार किया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

सचिन पांचाल पुत्र रमेश कुमार नि० 293 लाल चौक बौझा पटेल नगर थाना सिहानीगेट जनपद गा०बाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु०अ०सं० 360/21 धारा 376/354/504/427 भादवि थाना सिहानीगेट गा०बाद

थाना ट्रानिका सिटी पुलिस द्वारा 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से आवास विकास सपना चौराहा व अल्फलाह मस्जिद के पास की लूट की घटना के लूटे हुये 50670 रु व मो०साईकिल स्पलेन्डर नं० UP14CA-5759 व आवास विकास से लूट की स्कूटी व अवैध अस्लाह की बरामदगी

घटना का संक्षिप्त विवरण -श्री अमित पाठक (DIG)/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों की धरपकड व जुर्म रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी लोनी के पर्यवेक्षण में थाना ट्रानिकासिटी पुलिस द्वारा दिनांक 5-04-2021 को सपना चौराहा आवास विकास के पास से सुखबिर की सूचना पर सपना चौराहा के पास गिरफ्तारी हेतु लग गये तभी थोड़ी देर में स्कूटी व मोटर साईकिल सवार लडको को देखकर मुखबिर द्वारा बताया कि यही वे लोग है जिनके द्वारा लूट की घटना की जा रही है इस पर हम पुलिस वालो ने घेरा बंदी कर गिरफ्तार करने की कोशिश की तो इन्होंने जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया जिससे बचते हुये आवश्यक बल प्रयोग कर समय करीब 04-15 बजे अभियुक्त 1-विकास बैसला पुत्र जितेन्द्र बैसला निवासी 02 पश्चिम करावल नगर दिल्ली 2- हर्ष उर्फ हरिओम गिरी पुत्र राजीव कुमार निवासी ई-5/108 02 दयाल पुर खजूरी खास दिल्ली 3- दीपक पुत्र प्रेम कुमार निवासी सिमली छीट अल्मोडा उ०ख० 4-चंकी उर्फ विशाल पुत्र राजेन्द्र सी-93, 06 वैस्ट करावल नगर दिल्ली को गिरफ्तार किया गया व

इनके दो साथी विक्रू उर्फ विकास पुत्र अनिल कुमार निवासी A -27 04 वेस्ट करावल नगर दिल्ली व अभिष्क पुत्र अशोक कुमार निवासी 258 28 फुटा रोड करावल नगर दिल्ली अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में भाग गये गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा वादी मु0अ0सं0 174/21 श्री आशीष झा से दिनांक 31-3-21 को आवास विकास से लूटी गयी स्कूटी नं0DL3Y9C-7434 व मु0अ0सं0177/21 के वादी श्री मुदित कुमार से दिनांक 1-4-21 को अल्फलाह मस्जिद के पास से लूटे गये 62000/रु0 में से 50670रु0 व लूटी मो0साईकिल स्पलेन्डर नं0- UP14CA-5759 एवं 02 अवैध तमंचे मय खोका व जिन्दा कारतूस, व 01 चाकू बरामद कर लूट की घटनाओं का सफल अनावरण किया गया।

अपराध का तरीका पूछताछ का विवरण - अभि0 गण द्वारा पूछताछ पर बताया कि हम पढ़ने लिखने वाले लडके हैं अपने शौक पूरे करने के लिये घर वालो से पैसा पूरा न पडने पर अपने साथिये के साथ मिलकर लूट की घटनाये की गयी जिसमे स्कूटी व मोटर साईकिल लूटकर इन्ही लूट के वाहनो से पैसा छीनने की घटनाये की जाती है लूटे गये मोबाईल आदि के तोडकर फेक दिया जाता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त/ आपराधिक इतिहास -

- 1-विकास बैसला पुत्र जितेन्द्र बैसला निवासी 02 पश्चिम करावल नगर दिल्ली
- 2- हर्ष उर्फ हरिओम गिरी पुत्र राजीव कुमार निवासी ई-5/108 02 दयाल पुर खजूरी खास दिल्ली
- 3- दीपक पुत्र प्रेम कुमार निवासी सिमली छीट अल्मोडा उ0ख0
- 4-चंकी उर्फ विशाल पुत्र राजेन्द्र सी-93, 06 वेस्ट करावल नगर दिल्ली

अपराधिक इतिहास

- मु0अ0सं0 174/21 धारा 392,411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद
- मु0अ0सं0 177/21 धारा 392,411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद
- मु0अ0सं0 186/21 धारा 307,201,34 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद
- मु0अ0सं0 187/21 धारा 3/25 AAct बनाम विकास बैसला थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद
- मु0अ0सं0 188 /21 धारा 4/25 AAct दीपक थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद
- मु0अ0सं0 189/21 धारा 3/25 AAct चंकी उर्फ विशाल थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद

बरामदगी का विवरण –

1. मु0अ0सं0 174/21 धारा 392, भादवि मे लूटी गयी स्कूटी नं0DL3Y9C-7434 व
2. मु0अ0सं0177/21 धारा 392, भादवि मे लूटे हुये 50670रु0 व मो0साईकिल स्पलेन्डर नं0- UP14CA-5759 व
3. अवैध तमंचे चाकू व कारतूस बरामद



(थाना मधुबनबापूधाम पुलिस द्वारा अभियुक्त अंकित गर्ग को 600 ग्राम नाजायज गांजा सहित गिरफ्तार किया गया)

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी नगर कविनगर के प्रवेक्षण में अपराध व अपराधियो तथा नशील पदार्थों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 05.04.21 को गुलधर की तरफ जाने वाले रास्ते पर एम- ब्लांक चौराहे के पास से अभियुक्त अंकित गर्ग पुत्र स्व0 मुकुट लाल निवासी एन-172 सैक्टर—3 संजयनगर गाजियाबाद को मय नाजायज 600 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता अभियुक्त –

1- अंकित गर्ग पुत्र स्व0 मुकुट लाल निवासी एन-172 सैक्टर—3 संजयनगर गाजियाबाद ।

अपराध करने का तरीका –

अभियुक्त अंकित शातिर किस्म का अपराधी है जो घूम-घूम कर रेल पटरी व झुग्गी झोपडी आदि क्षेत्र में रखने वाले व्यक्तियों को नाजायज रूप गांजा की ब्रिकी करता है तथा अवैध रूप से धन एकत्रित करता है अभियुक्त अंकित उपरोक्त के अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में और अधिक जानकार की जा रही है।

बरामदगी का विवरण –

1- 600 ग्राम नाजायज गांजा (सम्बन्धित मु0अ0स0 -137/2021 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस एक्ट थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद)

थाना मधुबनबापूधाम पुलिस द्वारा मु0अ0स0 136/21 धारा 279/304ए भादवि में वांछित अभियुक्त युसूफ को गिरफ्तार किया गया

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी नगर कविनगर के प्रवेक्षण में अपराध व वांछित अपराधियो चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा थाना मधुबन बापूधाम पर पंजीकृत मु0अ0स0 -136/2021 धारा 279/304ए भादवि में वांछित अभियुक्त युसूफ पुत्र इशरत अली निवासी मुकरपुर थाना लक्सर जनपद हरिद्वार उत्तराखंड को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 05.04.21 को मोरटा पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता अभियुक्त –

1- युसूफ पुत्र इशरत अली निवासी मुकरपुर थाना लक्सर जनपद हरिद्वार उत्तराखंड
अनावरण किये गये मुकदमे का विवरण –

1- मु0अ0स0 -136/2021 धारा 279/304ए भादवि थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद ।

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 2 किलो 200 ग्राम गांजा नाजायज के साथ एक शातिर अभियुक्ता गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अमित पाठक के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजयनगर पुलिस को शातिर मादक पदार्थों तस्करो के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 05.04.2021 को चैकिंग के दौरान एक शातिर अभियुक्ता शारदा को 2 किलो 200 ग्राम गांजा के साथ विच्छल गेट के पास थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्ता

1- शारदा पत्नी स्व राजकपूर, नि. ए- 547, सैक्टर 11, प्रताप विहार, थाना विजयनगर, गा.बाद

पंजीकृत अभियोगो का विवरण

1- मु.अ.सं. 358/21 धारा 8/20 NDPS Act. थाना विजयनगर गाजियाबाद

2- मु.अ.सं. 0051/20 धारा 60 Ex Act. थाना विजयनगर गाजियाबाद

3- मु.अ.सं. 0056/18 धारा 8/20 NDPS Act. थाना विजयनगर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

1- 2 किलो 200 ग्राम गांजा नाजायज



थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 48 पक्वे अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का मय एक अदद चाकू के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अमित पाठक के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस को शातिर मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर की पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 05.04.2021 को चैकिंग के दौरान एक शातिर अपराधी अफनान को 48 पक्वे अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का मय 01 अदद चाकू के साथ सम्राट चौक के पास थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त*

1- अफनान पुत्र फकरुद्दीन, नि0 एच-249, सैक्टर 12, MIG फ्लैट, साईं मंदिर के पास, प्रताप विहार, थाना विजयनगर गाजियाबाद
पंजीकृत अभियोग का विवरण*

1- मु.अ.स. 354/21 धारा 60/63 Ex. Act. थाना विजय नगर गाजियाबाद

2- मु.अ.स. 355/21 धारा 4/25 A. Act. थाना विजय नगर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण*

1. 48 पक्वे अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का
2. एक अदद चाकू



थाना निवाडी पुलिस व स्वाट टीम द्वारा कार्यवाही के दौरान अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड, 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध शराब व सैनीटाईजर, व अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के उपकरण व सामग्री रैपर रोल, ढक्कन, प्लास्टिक बाल्टी, मग आदि बरामद

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित पाठक महोदय द्वारा अवैध शराब की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री डा0 ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी मोदीनगर श्री सुनील कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में दिनांक 05.04.2021 को प्रभारी निरीक्षक हरिओम सिंह, थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद, निरीक्षक श्री संजय कुमार पाण्डेय, प्रभारी स्वाट टीम, मय स्वाट टीम के मय उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार, उ0नि0 श्री रीगल कुमार, उ0नि0 श्री मनीष कुमार शर्मा, है0का0 615 ओपेन्द्र सिंह, का0 2081 अमित कुमार, को उस समय सफलता मिली जब मुखबिर की सूचना पर महालक्ष्मी ढाबे के सामने रामबिहार कालौनी में अभियुक्त पवन के घर पर समय करीब 13:00

बजे अवैध एवं अपमिश्रित शराब बनाने की फौकट्टी में दबिश दी जिसमें मौके से सैनेटाईजर 36 पेटी, (144 केन) 720 लीटर, एपीसोड व्हिस्की 5 पेटी कुल 240 पक्वा सेल इन हरियाणा ऑनली, डबल ब्लू व्हिस्की 02 पेटी कुल 94 पक्वा, एक केन में अपमिश्रित शराब 05 लीटर एक पुलिन्दा में अपमिश्रित शराब बनाने के लिए ढक्कन, रैपर, रोल, व लेबल, बाल्टी व मग प्लास्टिक, के साथ 02 नफर अभियुक्त 1—पवन पुत्र चन्द्रभान, 2—सोनू पुत्र चन्द्रभान निवासीगण ईदगाह के पास कस्बा व थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण 1—रवि पुत्र रामकिशन निवासी गली नं0 04 भूपेन्द्रपुरी कस्बा व थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद, 2—मनोज पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम नवादा जनपद बुलन्दशहर, 3—नत्थू पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम किशनपुर जनपद बुलन्दशहर, 4—अशीष पुत्र अज्ञात निवासी अलीगढ, 5—रमन नाम पता अज्ञात, 6—सुभाष नाम पता अज्ञात मौके से फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

अपराध करने का तरीका:—

अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं जो भौतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु इस प्रकार का कार्य करते हैं। इन्होंने अपने सहअभियुक्त पवन के घर पर महालक्ष्मी ढाबे के सामने रामबिहार कालौनी के पास अवैध अपमिश्रित शराब बनाने का कार्य शुरू किया गया था। अभियुक्त पवन के घर पर अभियुक्तगण के कब्जे से सैनेटाईजर 36 पेटी, (144 केन) 720 लीटर 2—एपीसोड व्हिस्की 5 पेटी कुल 240 पक्वा सेल इन हरियाणा ऑनली 3—डबल ब्लू व्हिस्की 02 पेटी कुल 94 पक्वा, 4—एक केन में अपमिश्रित शराब 05 लीटर 5—एक पुलिन्दा में अपमिश्रित शराब बनाने के लिए ढक्कन, रैपर, रोल, व लेबल, बाल्टी व मग प्लास्टिक, से अपमिश्रित शराब बनाने का कार्य किया जा रहा था। पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि जहाँ पर हम अपमिश्रित शराब बना रहे थे वह अभियुक्त पवन का मकान है अभियुक्तगण द्वारा भौतिक व आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए एक संगठित गैंग बनाकर उपरोक्त अवैध कार्य किया जा रहा था। अभियुक्तगण शराब को जनपद बुलन्दशहर, जनपद हापुड, जनपद अमरोहा, जनपद गाजियाबाद, आदि में आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत सप्लाई करने की फिराक में थे। उक्त बरामगदी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0-78/2021 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 272/273/255/256/ 420/467/468 भादवि पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:—

- 1—सैनेटाईजर 36 पेटी, (144 केन) 720 लीटर
- 2—एपीसोड व्हिस्की 5 पेटी कुल 240 पक्वा सेल इन हरियाणा ऑनली
- 3—डबल ब्लू व्हिस्की 02 पेटी कुल 94 पक्वा,
- 4—एक केन में अपमिश्रित शराब 05 लीटर
- 5—एक पुलिन्दा में अपमिश्रित शराब बनाने के लिए ढक्कन, रैपर, रोल, व लेबल, बाल्टी व

मग प्लास्टिक,

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

- 1—पवन पुत्र चन्द्रभान, निवासीगण ईदगाह के पास कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद
- 2—सोनू पुत्र चन्द्रभान निवासीगण ईदगाह के पास कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग:—

- 1—मु0अ0सं0-78/2021 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 272/273/255/256/ 420/467/468 भादवि

वांछित अभियुक्तगण—

- 3—रवि पुत्र रामकिशन निवासी गली नं0 04 भूपेन्द्रपुरी कस्बा व थाना मोदीनगर गा0बाद,
- 4—मनोज पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम नवादा जनपद बुलन्दशहर,

- 5-नत्थू पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम किशनपुर जनपद बुलन्दशहर,
- 6-अशीष पुत्र अज्ञात निवासी अलीगढ,
- 7-रमन नाम पता अज्ञात,
- 8-सुभाष नाम पता अज्ञात।



थाना लोनी पुलिस द्वारा शराब तस्करी करने वाले 03 अभियुक्त 97 पक्वे देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार

श्री अमित पाठक पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा शराब की तस्करी करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले तीन अभियुक्त 1 . हरेन्द्र पुत्र रामपाल निवासी खैला थाना चाँदीनगर जिला बागपत 2.सनी पुत्र सतवीर निवासी रामविहार थाना लोनी जिला गाजियाबाद 3.सुऐब पुत्र संजीद निवासी रामविहार थाना लोनी गा0बाद को 97 पक्वे देशी शराब हरियाणा मार्का के साथ निठौरा गाँव के मोड के पास हल्का चौकी बन्थला से दिनांक 05.04.2021 की प्रातः गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

- 1 . हरेन्द्र पुत्र रामपाल निवासी खैला थाना चाँदीनगर जिला बागपत
- 2.सनी पुत्र सतवीर निवासी रामविहार थाना लोनी जिला गाजियाबाद
- 3.सुऐब पुत्र संजीद निवासी रामविहार थाना लोनी गा0बाद

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0-400/2021 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना लोनी गा0बाद

बरामदगी का विवरण:-

97 पक्वे देशी शराब हरियाणा मार्का



थाना लोनी पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त शाहरुख पुत्र जमशेद निवासी मुस्तफाबाद निकट चाँद मस्जिद थाना लोनी गाजियाबाद को 1 किलो 100 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार

श्री अमित पाठक पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा नशीला पर्दाथो की तस्करी करने वाले अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा दिल्ली NCR क्षेत्र मे नशीला पर्दाथो की तस्करीकरने वालो के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए चैकिंग के दौरान निठोरा अण्डर पास के पास से 01 अभियुक्त गण 1 शाहरुख पुत्र जमशेद निवासी मुस्तफाबाद निकट चाँद मस्जिद थाना लोनी गाजियाबाद को 1 किलो 100 ग्राम गांजा के साथ दिनांक 04.04.2021 को समय करीब 20.30 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभि0गण –

अभियुक्त शाहरुख पुत्र जमशेद निवासी मुस्तफाबाद निकट चाँद मस्जिद थाना लोनी गाजियाबाद।

अभि0 शाहरुख के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों का विवरण:

1.मु0अ0सं0- 399/2021 धारा 8/20 NDPS थाना लोनी जनपद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

1 किलो 100 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना



थाना लोनी पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्ता गीता उर्फ हवा उर्फ काली अम्मा W/O भोला नाथ शर्मा R/O अंजली विहार लोनी थाना लोनी गाजियाबाद को 120 ग्राम एल्प्राजोलम के साथ गिरफ्तार

श्री अमित पाठक पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा नशीला पर्दाथो की तस्करी करने वाले अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा दिल्ली NCR क्षेत्र मे नशीला पर्दाथो की तस्करीकरने वालो के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए चैकिंग के दौरान अंजली विहार से 01 अभियुक्ता गीता उर्फ हवा उर्फ काली अम्मा W/O भोला नाथ शर्मा R/O अंजली विहार लोनी थाना लोनी गाजियाबाद को 120 ग्राम एल्प्राजोलम पाउडर के साथ दिनांक 05.04.2021 को समय करीब 8.25 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभि0गण –

अभियुक्त गीता उर्फ हवा उर्फ काली अम्मा W/O भोला नाथ शर्मा R/O अंजली विहार लोनी थाना लोनी गाजियाबाद

अभि0 गीता के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों का विवरण:

1.मु0अ0सं0- 401/2021 धारा 8/21 NDPS थाना लोनी जनपद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

120 ग्राम एल्प्राजोलम पाउडर नाजायज बरामद होना